वन विभाग हरियाणा

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, मेवात–नूंह,

गऊशाला रोड, वन कम्पलेक्स नूंह–मेवात, दूरभाष एवं फैक्स न0. –01267–274701

E-mail: dfo_mewat@yahoo.com

क्रमांक ...293.....

दिनांक 04/07/2022

सेवा मे :– मुख्य वन संरक्षक,
दक्षिणी परिमण्डल,
गुरूग्राम।

विषय :– **Diversion of 0.28 Ha. of forest land for Construction of water storage reservoir in Village Ghusbaithi (Gram Panchayat Sehsola), under forest division, Nuh Distt. Mewat Haryana (online proposal No. FP/HR/Others/17315/2015)**

संदर्भ:– आपके कार्यालय का EDS दिनांक 27.06.2022 के निरन्तर में।

....

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव के बारे मे आपकी सेवा अवगत करवाया जाता है कि उक्त प्रस्ताव की फाईनल स्वीकृति नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के पत्र कमांक प्रशा–डी–तीन–6675/2366 दिनांक 28.10.2016 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है (प्रति संलग्न) जो आपके कार्यालय के पत्र पृ0 कमांक D-III-57/2016/2591 दिनांक 02.11.2016 द्वारा भी इस कार्यालय को भेजी हुई है। जबकि उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल पर प्रकियाधीन/विचाराधीन चल रहा है जो उचित नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव की ऑनलाईन पोर्टल पर Stage-I Approval व Stage-II Approval की स्वीकृति अपलोड करने/करवाने का कष्ट करे ताकि उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके और आनलाईन पोर्टल पर लम्बित सूची से हट सके। यह आपकी सेवा मे सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न/यथोपरि।

वन मण्डल अधिकारी,
नूंह।

Divisional Forest Officer
Mewat Forest Divn
NUH

पृ0 कमांकः–   दिनांकः–

एक प्रति नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला को उनके कार्यालय के पत्र कमांक प्रशा–डी–तीन–6675/2366 दिनांक 28.10.2016 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sd/-

वन मण्डल अधिकारी,
नूंह।

Divisional Forest Officer
Mewat Forest Divn
NUH

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, मेवात–नूंह,
गऊशाला रोड, वन कम्पलेक्स नूंह–मेवात, दूरभाष एवं फैक्स न0. –01267–274701
E-mail: dfo_mewat@yahoo.com

क्रमांक .... दिनांक ....

सेवा मे :– मुख्य वन संरक्षक,
दक्षिणी परिमण्डल,
गुरूग्राम।

विषय :– **Diversion of 0.28 Ha. of forest land for Construction of water storage reservoir in Village Ghusbaithi (Gram Panchayat Sehsola), under forest division, Nuh Distt. Mewat Haryana (online proposal No. FP/HR/Others/17315/2015)**

संदर्भः– आपके कार्यालय का EDS दिनांक 27.06.2022 के निरन्तर में।

....

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव के बारे मे आपकी सेवा अवगत करवाया जाता है कि उक्त प्रस्ताव की फाईनल स्वीकृति नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के पत्र कमांक प्रशा–डी–तीन–6675/2366 दिनांक 28.10.2016 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है (प्रति संलग्न) जो आपके कार्यालय के पत्र पृ0 कमांक D-III-57/2016/2591 दिनांक 02.11.2016 द्वारा भी इस कार्यालय को भेजी हुई है। जबकि उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल पर प्रकियाधीन/विचाराधीन चल रहा है जो उचित नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव की ऑनलाईन पोर्टल पर Stage-I Approval व Stage-II Approval की स्वीकृति अपलोड करने/करवाने का कष्ट करे ताकि उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके और आनलाईन पोर्टल पर लम्बित सूची से हट सके। यह आपकी सेवा मे सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न/यथोपरि।

Sd/-
वन मण्डल अधिकारी,
नूंह।
Divisional Forest Officer, Mewat Forest Div. NUH

पृ0 कमांकः– 294 दिनांकः– 04/07/2022

एक प्रति नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला को उनके कार्यालय के पत्र कमांक प्रशा–डी–तीन–6675/2366 दिनांक 28.10.2016 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
नूंह।
Divisional Forest Officer, Mewat Forest Div. NUH

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,
सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा–डी–तीन–6675 / 854 दिनांक: 14-6-16

सेवा में

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुड़गॉव ।

विषयः Diversion of 0.28 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Public Health Engg., Division No. 1, Nuh for construction of water storage reservoir for providing water supply to Nalhar Medical College, Nuh Town, Farrukh Nagar Town, Pataudi Town & Surrounding 17 No. villages of District Mewat, under forest division and District Mewat, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/Others/17315/2015

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक D-III-57/2016/610 दिनांक 01.06.2016

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक 1670–व–2–2016 / 8430 दिनांक 6.5.2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उदेश्य हेतु 0.28 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति / स्वीकृति उपरान्त सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:–

(i) प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये ।

(iii) भारत सरकार पत्र संख्या 5–2 / कैम्पा दिनांक 24.06.2011 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के (CAMPA Haryana लेखा संख्या SB01025209, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 या (Haryana-CAMPA) लेखा संख्या SB344902010105418 भारतीय यूनियन बैंक, सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और इस कार्यालय को निर्धारित प्रोफोर्मा द्वारा सूचित किया जाये ।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

14/6/2016

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सीए)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपिः–

1. वन मण्डल अधिकारी, मेवात–नूँह ।
2. Executive Engineer, Public Health Engg., Division No. 1, Nuh.

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा–डी–तीन–6675 / 2366 दिनांक: 28-10-16

सेवा में

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुडगांव ।

विषय: Diversion of 0.28 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Public Health Engg. Division No. 1, Nuh for construction of water storage reservior for providing water supply to Nalhar Medical College, Nuh Town, Farrukhnagar Town, Pataudi Town and surrounding 17 No. Villages of Distirct Mewat-Nuh under forest division and Distric: Mewat-Nuh, Haryana. Online Proposal No. FP/HR/Others/17315/2015

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प्रशा–डी–तीन–6675 / 854 दिनांक 14–6–2016 ।

उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिसमें इस कार्यालय के संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हो चुकी है ।

2. प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.28 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है।

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

(ii) इस प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष / पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष / पौधा नहीं काटा जाएगा ।

(iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार मेहरौला धारा 4 व 5 के क्षेत्र में प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 406560 / – रूपये (चार लाख छः हजार पॉच सौ साठ रूपये) की राशि से 560 पौधे लगा कर किया जाएगा ।

(iv) प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।

(v) वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।

(vii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे ।

(viii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।

(ix) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।

(x) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।

(xi) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगें, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी ।

(xii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।

(xiii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव [illegible] उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के सरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।

(xiv) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी ।

(xv) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजैन्सी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएंगी । प्रत्येक खम्भे पर कम संख्या, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक तथा एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएंगी ।

(xvi) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।

(xvii) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय–समय पर लगाई जा सकती है ।

(xviii) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व–अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी ।

(xix) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

3. राज्य सरकार इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तो में से किसी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0),
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24–25, सैक्टर–31–ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, मेवात–नूँह ।
3. Executive Engineer, Public Health Engg. Division No. 1, Nuh.

पृ० क्रमांक D-III-57/2016/2591 दिनांक 2-11-16

एक प्रति वन राजिक अधिकारी ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

F.C.

1356
8-11-16